

अपीलांट:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-

श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र नोरतमल मु.पो.
बाबरा, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 63 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00 150

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8/7/19	<p>अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 19/7/19 को पेश हो।</p>	<p>2019-06 19/7/19</p>
19/7/19	<p>पत्रावली का पेश हो। लोक सूचना अधिकारी SD 0 रायपुर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है पुनः सूचना का जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 26/7/19 को पेश हो।</p> <p>जिला कलेक्टर, पाली</p>	
26/7/19	<p>अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दायित्व सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायपुर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाने से उन्हें निर्देशित करके हेतु निवेदन किया है। इस कार्यालय द्वारा निरवा जोग या उन्होंने उक्त सूचना आवत SDM जैतारण (संज्ञित लोक सूचना अधिकारी) के पत्र क्रमांक - पुनाप /2019/2365-67 दिनांक 16/7/19 की प्रति इस कार्यालय से प्रेषित की जाकर सूचना उनके द्वारा अपीलांट को SDM जैतारण से मिलवायी है। अपीलांट को दायित्व सूचना उपलब्ध करा दिए जाने से इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील दर्ज की जाती है।</p> <p>पत्रावली इस न्यायालय से शुभाप फैसला की जाकर जाकर से कर हो।</p> <p>जिला कलेक्टर, पाली</p>	